# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 63/2026

# प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 14.02.2026

**डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़** के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 14.02.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

**प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 14.02.2026**

**थाना– रौनापार, जनपद– आजमगढ़**

***साइबर फ्रॉड के शिकार व्यक्ति के ₹18,582/- रुपये वापस कराए गए***

साइबर अपराध के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना रौनापार पुलिस व साइबर टीम आजमगढ़ द्वारा पीड़ित के ₹18,582/- रुपये सफलतापूर्वक वापस कराए गए।

## ☐ घटना का विवरण

आवेदक श्री राजेन्द्र यादव पुत्र सुबेदार यादव निवासी ग्राम बनियापार, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ को बिजनेस लोन दिलाने के नाम पर साइबर अपराधियों द्वारा प्रोसेसिंग फीस के रूप में ₹18,800/- दिनांक 28.04.2025 को अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए गए। ठगी का एहसास होने पर आवेदक तत्काल थाना रौनापार पर उपस्थित हुए, जहां उनकी शिकायत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज कराई गई।

## ☐ बरामदगी का विवरण

शिकायत दर्ज होने के उपरांत साइबर टीम आजमगढ़ द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए फ्रॉडस्टर के आईडीबीआई बैंक खाते में ₹18,582/- की धनराशि होल्ड कर दी गई। तत्पश्चात विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर दिनांक 13.02.2026 को ₹18,582/- की धनराशि आवेदक के खाते में वापस करा दी गई।

## ☐ पुलिस टीम

- साइबर टीम, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

➡☐ जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। त्वरित सूचना से धनराशि वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

**प्रेस-विज्ञप्ति,** दिनांक – 14.02.2026

थाना – अहरौला, जनपद – आजमगढ़

## जमीनी विवाद में मारपीट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

थाना अहरौला पुलिस द्वारा जमीनी विवाद में वादिनी एवं उसकी पुत्री को जान से मारने की नियत से मारपीट कर घायल करने वाले एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

### 1 घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 15.01.2026 को वादिनी श्रीमती मीरा चौबे पत्नी अजय चौबे निवासी ग्राम बस्ती भुजवल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि जमीनी विवाद को लेकर अभियुक्तगण द्वारा गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी-डंडा व लात-घूंसे से मारपीट की गई, जिससे वादिनी व उनकी पुत्री वर्षा को सिर पर चोटें आईं।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 12/26 धारा 115(2)/352/351(3)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धारा 109(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

### 2 गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 14.02.2026 को उ0नि0 विश्राम गुप्ता मय हमराह पुलिस बल क्षेत्र भ्रमण में थे। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अंकित उर्फ पशुपति नाथ चौबे को इशहाकपुर केदारपुर पुलिया से समय 11:00 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### 3 गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- **नाम:** अंकित उर्फ पशुपति नाथ चौबे
- **पिता का नाम:** स्व0 अजीत चौबे
- **निवासी:** ग्राम बस्ती भुजवल, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़
- **उम्र:** लगभग 22 वर्ष

### 4 बरामदगी

- एक अदद डण्डा (आला जुर्म)

### 5 पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 12/26 धारा 115(2)/352/351(3)/3(5)/109(1) बीएनएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 373/2025 धारा 115(2), 324(2), 351(3), 352 थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 196/22 धारा 323/506 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

### 6 गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- उ0नि0 विश्राम गुप्ता
- का0 बसन्त कुमार
- का0 अभिषेक मौर्या
- हे0का0 राकेश कुमार सिंह
  (थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़)

## प्रेस नोट
## दिनांक : 14.02.2026
## थाना : गम्भीरपुर, जनपद : आजमगढ़
## वारंटियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 02 वारंटी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा जनपद में वारंटियों के विरुद्ध चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन सिंह के कुशल निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष गम्भीरपुर अखिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना गम्पुभीरपुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 14.02.2026 को प्रभावी कार्यवाही की गई।

उक्त कार्यवाही के अंतर्गत मा0 न्यायालय एसटी एससी एक्ट आजमगढ़ वाद संख्या 16/22, धारा 323/504/506 भा0द0वि0, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ से निर्गत वारण्टों के अनुपालन में थाना गम्भीरपुर पुलिस टीम द्वारा कुल 02 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया।

➡ गिरफ्तार किए गए वारंटियों का विवरण—

1.रीता पत्नी रामलाल नि0 मुड़हर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

2.कुमारी पत्नी पव्वरनि0 मुड़हर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार दोनों वारंटियों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➡ गिरफ्तार किए गए वारंटियों का विवरण—

1. उ0नि0 चन्द्रप्रकाश कश्यप, का अमित यादव का0 विवेक यादव का0 अभिषेक सिंह म0का0 श्रुति पाठक म0का0 अंजली सरोज

➡ जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत वारण्टों के शत-प्रतिशत अनुपालन हेतु निरंतर सघन अभियान चलाया जा रहा है।